

दिनांक... 10-3-2022... 11:51 AM

10-3-22 परावली पेश दुई वकील पार्टी उपस्थित।
चूंकि मूल वाद में प्राथमिक डिब्टी एवं निर्णय
पारित करने के आदेश दिये जा चुके हैं, इस
कारण प्रकरण में कोई कार्यवाही अपेक्षित
नहीं होने से प्राथमिक का प्रार्थना-प्रकारित
किया जाता है।
परावली फ़ैसल नुमांर टौकर नम्बर
से कम है।


उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

